

12⁷/₁₈.

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन करने से बात हुआ है कि पत्रावली दि. 21/11/14 से वादों संशोधित वादपत्र चले रही हैं। 4 वर्ष के समय अंतराल के बाद भी अधिवक्ता वादी संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। न्यायाधीश में अनेक अवसर दिये जा चुके हैं। आज भी वादी स्वयं व वादी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं आए हैं। न्यायालय समय में बार-2 रूक-2 कर आवाज लगावाए जाने के बाद भी वादी स्वयं व वादी अधिवक्ता कोई भी न्यायालय में धाजिर नहीं आया।
अतः पत्रावली अदम्य धजरी अदम्य पेंसरी में खारिज की जाती है। पत्रावली कुल्ल शुमार होकर, नम्बर ले कर होकर बाद तारीख तन्मील कारिवल फलत ही।

म. ज. म.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चंक्रानर

